अभी मैं अपने संसदीय क्षेत्र जिला मुंगेर (बिहार) के भ्रमण पर गई थी जहां लखीसराय सिकन्दरा, मटिहानी, हलसी और बड़हिया के अंतर्गत ग्रामीण डाक घरों में अन्तर्देशीय पत्रों, मनीआर्डर फार्मों, पोस्टल आर्डरों का सर्वथा अभाव की शिकायत सुनने को मिली। न केवल देहाती बल्कि प्रखण्ड मुख्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। जिला मुख्यालयों एवं प्रान्त के मुख्यालय के भी डाकघरों में अनेक बार लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है। तब जाकर पोस्टल आर्डर, अन्तर्देशीय पत्र एवं मनीआर्डर फार्म जाकर मिलता है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। अन्तर्देशीय पत्रों, मनीआर्डर फार्मों एवं पोस्टल-आर्डरों की आवश्यकतानुसार पूर्ति नहीं की जाती, यह अत्यन्त दुखद है। भारत सरकार के डाक-तार विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था से आम जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 35 पैसे के अन्तर्देशीय पत्र के लिए 25 रु०रेल भाड़ा देकर जिला स्तर के पोस्ट आफिस में जाना पड़ता है। सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में सभी उपयोगी डाक सामग्री उपलब्ध हो सके।

(iii) Extension of Yamnna-Ganga terms upto Delhi in the morning and upto Mathura in the evening.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा के अनेक व्यक्ति प्रति दिन दिल्ली सुबह आते हैं और शाम को मथुरा जाते हैं। अधिकतर ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिनमें वे बैठ नहीं सकते। ऐसी कोई नहीं जिससे आया जा सके। यदि यमुना गंगा रेलगाड़ी को सुबह मथुरा से आगे बढ़ा कर दिल्ली तक और शाम को दिल्ली से मथुरा तक कर दिया जाय तो जनता को सुविधा होगी। इससे 'आगरा की जनता को भी लाभ होगा। माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि या तो मेरे सुझाव के अनुसार या जिस प्रकार उचित समझें मथुरा के लोगों की दिल्ली आने जाने की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक और शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

(iv) Need to direct Punjab Government to transfer the charge of head works of Ropar, Ferozepur and Hariks to Bhakra Beas Management Board as per Punjab Re-organisation Act, 1966.

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN (Barmer) : As per Punjab Re-organization Act, 1964, the headworks on the rtvers Sutlej, Ravinand Beas were to be transferred to the Bhara Beas Management Board, but only Nagal headwork has been transferred to the Bhakra Beas Management Board, and the other three heanworks, namely Ropar, Ferozepur and Harike are still under the control of the Punjab Government. Rajasthan has brought to the notice of the Government of India that for proper distribution of irrigation waters to be made available to Rajasthan, the control of the headworks should be transferred to the Bhakra Beas Management Board. Punjab has not handed over the control of these headworks, inspite of best efforts made by Rajasthan and Haryana.

It is a singular example of an Act of Parliament having not been implemented for a period of 18 years.

The matter has to be agitated, as because of the control of these headworks, particularly Harrike Barrrage, Punjab manages to utilize more water than its share, and Rajasthan suffers every year because of sort supplies made by Punjab.

It is, therefore, requested that Central Government must come to the aid of Rajasthan and Haryana, and direct Punjab Government to hand over the control of the headworks, viz. Ropar, Ferozepur and Harike to Bhakra Beas Management Board, for proper distribution of irrigation waters to be available to Rajasthan and Haryana.

(v) Supply of adequate quantities of disel to farmers in U.P.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों मुख्यत: पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल का भीषण अभाव हो जाने के कारण किसानों के सामने घोर संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले डीजल पर आधारित उन सभी कृषि यन्त्रों को जिनके द्वारा रबी की फसल की मड़ाई

की जाती है, चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे किसान कठिनाई में पड़ गये हैं। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कुछ चोर-बाजारियों ने मुनाफाखोरी आरम्भ कर दी है। अत: सरकार से मेरी मांग है कि डीजल के संकट को दूर करने के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाय ताकि किसानों की आवश्यकता पूरी की जा सके। साथ ही डीजल के व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिये शीघ्र कड़े कदम उठाये जांय।

(vi) Need to remove the ban for trans portation of coal by road in Bihar.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): कोयले की कमी को देखते हुए खदानों पर बढ़ता भंडार विचित्र बात है। रेलवे का ज्यादा कोयला ढोने का दावा है तथा कोल इण्डिया बिजली घरों इस्पात और सीमेंट कारखानों को ज्यादा कोयला भेजने के आंकड़े देता है पर इसका अभाव सब जगह महसूस होता है और साथ-साथ खदानों पर भंडार बढ़ता जा रहा है। इस साल भी योजना का लक्ष्य तीसरी बार कम किया गया है फिर भी उम्मीद नहीं है कि यह भी पूरा होगा। अगले पांच वर्षों में बिजली की क्षमता दो तिहाई बढ़ाने की योजना है जो कोयले पर ही आधारित होगी क्योंकि इस अवधि में तेल उत्पादन बढ़ने की आशा नहीं। अत: लगभग 10 करोड़ टन अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। कोल इण्डिया पिछले दस सालों से घाटे में है। चार गुने कीमत बढ़ा देने के बावजूद भी घाटा 800 करोड़ रुपये का है। अधिक उत्पादन के लिये आवश्यक तकनीकें हमारे पास नहीं हैं। यदि किसी प्रकार यह प्राप्त भी हो जाय तो सक्षम परिवहन व्यवस्था का अभाव है। अत: कोयला खदानों पर अंबार लगेगा तथा जनजीवन में उसका अभाव रहेगा ही। यद्यपि सड़कों से कोयला ढोना खनिज तेलों का दुरुपयोग होगा परन्तु जब तक रेल सेवा और कोयला इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में सामंजस्य नहीं होता, सड़क परिवहन से कोयला ढोने की हमारी मजबूरी है और बिहार में विशेष कर। अत: जब तक रेल व्यवस्था सक्षम नहीं हो जाती, बिहार के उद्योगों को चलाते रहने के लिये सड़क परिवहन द्वारा कोयला ढोने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग करता हूं।

(vii) Demand for an Independent Corporation for India Mica Trading Corporation and Constituting a separate Corporation for Indian Mica Production Corporation.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, हीरे एवं जवाहरात की तरह कीमती खनिज अभ्रक, विश्व उत्पादन का 80 प्रतिशत भारत में होता है। संसादित एवं विनिर्मित अभ्रक का निर्यात प्रति वर्ष 30 से 50 करोड़ रुपये का होता है। 1972-73 में जहां 14-15 हजार टन अभ्रक का निर्यात होता था, अभी मात्र 5-6 हजार टन का निर्यात कर वार्षिक 30 से 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। यदि हम पूरी मात्रा में निर्यात करते तो वर्तमान मूल्य स्तर पर 150 से 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त करते। इसके लिए अभ्रक के वैज्ञानिक ढंग से संसादित करने तथा इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण भारत में प्रारंभ करने पर अधिक निर्यात करने में सक्षम हो सकते हैं। इस दिशा में बाधक है, एम० एम० टी०-सी०, जिसका माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन एक सहयोगी निगम है। इस महत्वपूर्ण खनिज के विकास एवं प्रबंधन स्वतंत्र रूप से लाने के लिए **भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को स्वतंत्र निगम** बनाया जाए।

2. अभ्रक निर्यात का कार्य मिटको करे यह अपेक्षित है किन्तु उत्पादन का कार्य यदि निजी कम्पनियां करें, तो सरकारी उपक्रम पंगु बना रह जाता है। मिटको को स्वतंत्र निगम के रूप में प्राधिकृत करना इस व्यापार के हक में अनिवार्य है। इसके साथ ही इस निगम की आवश्यकता पूर्ति हेतु अभ्रक-उत्पादन का कार्य भी सरकारी उत्पादन निगम के रूप में संगठित करने की जरूरत है। बिहार मिनरल डवलपमेंट निगम जो अभ्रक के साथ-साथ अनेक खनिज उत्पादन हेतु प्राधिकृत है, इसके पास बिहार के 33000 एकड़ अभ्रक क्षेत्र इसे प्राप्त है जबकि यह निगम मात्र